Punjab Kesari

रेल मंडल का दावा: रेलवे में 25 प्रतिशत भर्तियां नियम अनुसार नहीं

रेलवे कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में यह बात सामने आई है कि रेलवे में कार्यरत करीब 25 प्रतिशत भर्तियां नियम अनुसार नहीं हुई हैं। यह बात आधिकारिक आंकड़ों पर कही गई है। इस बात के बाहर आने से रेल अधिकारियों को नियमों पर टिके रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

सी.एम.एस. द्वारा होती है भर्ती
रेल मंडल अपने कर्मचारियों को रेलवे के क्रू मैनेजमैंट सिस्टम (सी.एम.एस.) के जरिए भर्ती करते हैं। यह 89,000 कर्मी सदस्यों का डाटाबेस हैं, जो उनकी स्थिति तथा रेल संचालनों के लिए उनकी उपलब्धता संबंधी जानकारी देता है। मात्र 75 प्रतिशत कर्मचारियों की नियमानुसार भर्ती रेलवे बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा है कि रेल मंडलों द्वारा औसतन 75 प्रतिशत कर्मचारी नियमानुसार भर्ती किए जाते हैं लेकिन यह आंकड़ा संतोषजनक नहीं है। पत्र में बोर्ड ने इस बात पर चिंता जताई कि रेल चालक, सहायक चालक और गार्ड, जो रेल संचालन के मूल संचालन दल के सदस्य होते हैं, की भर्ती मंडल नियमानुसार नहीं करते।

नियमानुसार भर्तियों की संख्या बढ़ी लेकिन संतोषजनक नहीं
बोर्ड को ऐसा लगता है कि यह यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए भर्ती होने वाले सभी कर्मचारियों को हर मामले में फिट होना चाहिए। इसके लिए उन्हें सी.एम.एस. के पहले विकल्प को ही चुन कर आवेदन देना चाहिए। हालांकि बोर्ड ने बताया कि पिछले वर्षों के मुकाबले 'फेच एस पर रूल' द्वारा भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ी है फिर भी यह अभी संतोषजनक नहीं है।